

दिनांक-06-12-2022

पुनःश्रव्य

पत्रावली पुनः पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ एम० काला न्यायालय में उपस्थित है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी आदेश पर सुना गया।

2. यह परिवाद **परिवादी रविन्द्र सिंह** की ओर से **विपक्षी अभय कुमार** के विरुद्ध पराक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत लाया गया है। परिवाद में परिवादी के कथन इस प्रकार हैं कि विपक्षी ने अपनी देनदारी की एवज में परिवादी को **एक्सिस बैंक एलटीडी, शाखा चकराता रोड, देहरादून का एक बैंक सं० 001761 मु० 6,00,000/-रुपये दिनांकित 13.06.2022** का दिया। विपक्षी के उक्त बैंक को परिवादी ने भुगतान हेतु अपने **बैंक, एच०डी०एफ०सी० बैंक एल०टी०डी०, शाखा डोईवाला, देहरादून** में प्रस्तुत किया, तो विपक्षी के उक्त बैंक को बैंक ने **दिनांक 24.08.2022** को (Funds Insufficient) की टिप्पणी के साथ रिटर्न मैमों के सहित वापस कर दिया। परिवादी को उपरोक्त बैंक का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। अनादरण की सूचना व धन अदा करने के लिए परिवादी ने विपक्षी को उसके वास्तविक पते पर रजिस्टर्ड डाक से **कानूनी नोटिस दिनांक 22.09.2022** को प्रेषित किया, जो विपक्षी को तामील हो गया, किन्तु तामीली के उपरान्त निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद भी विपक्षी ने कोई धनराशि परिवादी को अदा नहीं की है। इस प्रकार विपक्षी ने पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 का अपराध किया है। अतः विपक्षी को न्यायालय तलब कर दण्डित किया जाये।

3. परिवादपत्र के समर्थन में परिवादी ने निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किये :-

क्रम सं०	दस्तावेज का विवरण	कागज
1	एक किता मूल बैंक सं० 001761 एक्सिस बैंक एलटीडी, शाखा चकराता रोड, देहरादून का एक बैंक सं० 001761 मु० 6,00,000/-रुपये दिनांकित 13.06.2022	01
2	रिटर्न मैमो दिनांकित 24.08.2022	01
3	कानूनी नोटिस दिनांकित 22.09.2022	02
4	मूल रजिस्टर्ड डाक की रसीद दिनांकित 22.09.2022	02
5	ए०डी० मय लिफाफा	02

4. परिवाद के समर्थन में परिवादी ने साक्ष्य शपथपत्र धारा 145 एन.आई.एक्ट का धारा 200 द०प्र०सं० में भी दाखिल किया है।

5. तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ एम० काला को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से, परिवादी ने परिवाद के समर्थन में अनादरित मूल बैंक, बैंक मैमों, कानूनी नोटिस, मूल रजिस्टर्ड डाक रसीद, ए०डी० मय लिफाफे इत्यादि दाखिल किये गये हैं। उक्त दस्तावेजों

का विस्तृत विवरण प्रस्तर 3 सारणी में है। परिवादी ने शपथपत्र साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 से भी परिवादपत्र के कथनों का समर्थन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक कथन व दस्तावेज परिवादपत्र का पूर्णतः समर्थन करते हैं। इस प्रकार परिवादी की ओर से धारा 138 एन0आई0एक्ट की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। अतः हस्तगत वाद में विपक्षी को पराक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु समन द्वारा तलब किये जाने के पर्याप्त विधिक आधार हैं। फलस्वरूप निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

न्यायालय यह आदेश देती है कि परिवाद में **विपक्षी अभय कुमार** को एन.आई.एक्ट की धारा 138 में अग्रेतर कार्यवाही हेतु बतौर अभियुक्त तलब किया जाये। अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति हेतु दिनांक 28.02.2023 के लिये समन जारी हो। परिवादी सात दिन के भीतर धारा 204 द0प्र0सं0 के उपबन्धों का पूर्णतः अनुपालन करने और पैरवी लेने के साथ-साथ धारा 144 परक्राम्य लिखत अधिनियम के उपबन्धानुसार भी रजिस्टर्ड डाक से अभियुक्त के विरुद्ध समन की पैरवी लेना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित कार्यालय लिपिक, बाद आवश्यक कार्यवाही/परिवादी द्वारा नियमानुसार पैरवी किये जाने के उपरान्त समन जारी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक 28.02.2023 को वास्ते उपस्थिति/अग्रेतर आदेश पेश हो।

(मीनाक्षी दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
डोईवाला।